न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस

अपील सं0 :– 119/2018 **(225 आर.टी. एक्ट)**

उनवान

1. बदरी प्रसाद पुत्र श्री बालजी जाति राजपुत निवासी मौहल्ला चैलापाडी, अलवर तहसील व जिला अलवर।

..... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अलवर।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–

1. श्री दाताराम गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट।
2. पैरोकार सरकार।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 29.10.2020

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अलवर के पत्रावली मुकदमा संख्या 1/72/2018 निर्णय दिनांक 31.08.18 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि ग्राम मदनपुरी के आराजी खसरा नम्बर 452/1 रकबा 0.24 है0 किस्म नहरी–2 के अप्रार्थी खातेदार है, परन्तु उक्त भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है। अर्थात कृषि जोत के स्वरूप को परिवर्तन कर कृषि जोत के नियमों व शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इसलिए खातेदार द्वारा उक्त की गई कार्यवाही नियम विरूद्ध है। ग्राम मदनपुरी के क्षेत्र में निजी खातेदार द्वारा कृषि को दी गई जोत की शर्तों का उल्लंघन करने जिस पर कृषि से अकृषि में परिवर्तन कर दिया है, जिसमें भी भूमि की उपजाऊशक्ति को नष्ट कर दिया गया है, जो काबिले सिवायचक दर्ज कराने के है। उक्त अवैधानिक तरीकें से किये गये स्वरूप कृषि जोत के स्वरूप में परिवर्तन कर संपरिवर्तन शुल्क अथवा लीज के रूप में मिलने वाली राशि राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व की हानि हुई है। उक्त अवैध प्लॉटिंग की स्थिति को ध्यान में आने पर काबिज

अप्रार्थी को पटवारी हल्का भजीट के माध्यम से सूचित किया गया कि विवादित भूमि से प्लॉटिंग करना बंद कर दे, परन्तु मौके पर बदस्तूर कृषि कार्य से अकृषि कार्य करने पर अमादा है। अतः प्रार्थी तहसीलदार ने अप्रार्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 177 के तहत खातेदारी अधिकारों की समाप्ति एवं उक्त भूमि को बहक सरकार कुर्क कब्जेराज ली जाकर रिसीवर के कब्जे में दिये जाने की प्रार्थना की।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 की धारा 212 (1 एवं 2) के अन्तर्गत विवादित आराजी पर तहसीलदार अलवर को रिसीवर नियुक्त कर रिसीवर तहसीलदार अलवर को आदेश दिये कि वह विवादित आराजी को कब्जेराज लेकर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थी द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अपील मीमो के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मिन अपीलांट के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र धारा 177 राज0 काश्त0 अधिनियम के तहत दिनांक 31.08.18 को पेश किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि मिन अपीलांट अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नं0 452/1 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम मदनमुरी में बिना राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये हुए प्लॉटिंग कर रहा है एवं मिन अपीलांट कृषि भूमि को अकृषि कार्य में लेकर कृषि जोत के नियमों व शर्तो का उल्लंघन कर रहा है इसलिए उपरोक्त भूमि को सिवाय चक दर्ज किया जावे। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन यानि 31.08.2018 को मिन अपीलांट को बिना नोटिस जारी किये एवं बिना सुनवाई का मौका दते हुए विवादित आदेश मिन अपीलांट के खिलाफ इकतरफा फरमाया। जिसका इल्म मिन अपीलांट को दो माह बाद हुआ। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने जिस कथित रिपोर्ट हल्का के आधार पर विवादित आदेश सादिर फरमाया वो रिपोर्ट कतई गलत एवं मौके के खिलाफ है जिस पर किसी स्वतंत्र व्यक्ति के हस्ताक्षर बतौर गवाही नहीं हो रहे है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमो के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आदेश इकतरफा सादिर फरमाया है, जिसकी मिन अपीलांट को कोई जानकारी नहीं हो सकी। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के कथित आदेश का सर्वप्रथम इल्म 29.10.18 उस समय हुआ, जब मिन अपीलांट ने अपने किसी कार्य के लिए जमाबंदी की नकल नेट से निकलवाई, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के कथित आदेश का नोट अंकित था।

रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। मुख्य बहस को सुनने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। अतः धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आदेश इकतरफा सादिर फरमाया है, जिसकी मिन अपीलांट को कोई जानकारी नहीं हो सकी। कथित आदेश का इल्म होने पर मिन अपीलांट निर्णय की नकल 02.11.18 को प्राप्त की।

नकल प्राप्ति की समयावधि में अपील पेश कर दी। अतः मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

जवाब में राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है। प्रार्थना पत्र में एक–एक दिन का कारण बताना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट खारिज करने योग्य है।

हमारे द्वारा तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहत अदालत की आदेशिका 31.08.18 से 20.11.19 तक का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि सुनवाई हेतु सम्मन जारी नहीं किया जाना पाता है। निर्णय का इल्म होने पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की नकल फैसला प्राप्त होने की अवधि में अपील पेश कर दी गई। इस बाबत अपीलाण्ट द्वारा शपथ पत्र भी पेश किया गया है। इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों का इस पर मत है कि अपील को गुणावगुण के आधार पर, न कि, तकनीकी की त्रुटि के आधार पर निर्णित किया जाना चाहिए। इस प्रकार अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार की जाती है। इसके पश्चात विद्वान अभिभाषकगण की मुख्य बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों के उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार साहब अलवर ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय में 31.08.2018 को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन दिनांक 31.08.2018 को ही दर्ज रजिस्टर किये जाने एवं मिन प्रार्थी को को नोटिस जारी किये जाने का आदेश सादिर फरमाया, किन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन यानि 31.08.2018 को मिन अपीलांट को बिना नोटिस जारी किये एवं बिना सुनवाई का मौका दते हुए विवादित आदेश मिन अपीलांट के खिलाफ इकतरफा फरमाया। जिसका इल्म मिन अपीलांट को दो माह बाद हुआ। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की नजारात के अनुसार कायमी रिसीवर का अनुतोष एक कठोरतम अनुतोष है जो केवल विशिष्ठ परिस्थितियों में ही प्रदान किया जा सकता है किन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपना उक्त आदेश मिन अपीलांट के खिलाफ इकतरफा फरमाया, जो गलत एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतो के विपरित होने के कारण निरस्त फरमाये जाने योग्य है। मिन अपीलांट अपनी खातेदारी की आराजी में प्लॉटिंग का कार्य नहीं कर रहा है और ना ही कृषि उपयोग से भिन्न किसी अन्य कार्य में लेता है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने जिस कथित रिपोर्ट हल्का के आधार पर विवादित आदेश सादिर फरमाया वो रिपोर्ट कतई गलत एवं मौके के खिलाफ है जिस पर किसी स्वतंत्र व्यक्ति के हस्ताक्षर बतौर गवाही नहीं हो रहे है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार अलवर के निर्देश पर ही पटवारी द्वारा मौका निरीक्षण का रिपोर्ट तैयार की गई कि अपीलाण्ट द्वारा कृषि भूमि के प्रयोग से भिन्न प्रयोजानार्थ उपयोग में लिया जा रहा है, जिसके आधार पर तहसीलदार साहब

द्वारा वाद पेश किया गया, जिसमें विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा सही निर्णय किया गया है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज की जायें।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट ग्राम मदनपुरी दिनांक 22.08.18, नकल नक्शा, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2071–74 एवं नकल जमाबंदी संवत् 2071 दस्तावेज पेश किये गये।

अपीलांट अभिभाषक द्वारा आराजी में कृषि कार्य होने की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।

तहत अदालत की फर्द अहकाम प्रारम्भ दिनांक 31.08.18 से दिनांक 20.11.19 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु कोई सम्मन जारी नहीं किया गया। न ही जारी सम्मन या तामिल सम्मन तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार वाद विचारण में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 29 एवं आदेश 5 नियम 1 से 8 तक की विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है जो एक गम्भीर विधिक त्रुटि है।

इसी प्रकार यह भी आज्ञापक प्रावधान है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में कोई भी रिपोर्ट, पर्चा मौका तहसीलदार से नीचे रैंक के अधिकारी का कोई तात्विक महत्व नहीं रखता है। तहत अदालत द्वारा केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही एकतरफा निर्णय पारित कर दिया जाना तात्विक त्रुटि है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अलवर का आदेश दिनांक 31.08.18 अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम को निरस्त कर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अप्रार्थीगण को विधिवत् सुनवाई का मौका देते हुए सक्षम अधिकारी के पर्चा मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करें। अपीलाण्ट को आदेश है कि दिनांक 14.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.10.20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29.10.20

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर